न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

आलोक कुमार बनाम ओमप्रकाश

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	दावा मु.नं. 109/2023	
14-9-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18-9-23 को पेश हो। उ.जे.स.	अटेस्टेड Identified for plaintiff's (पूरणमल [illegible]) (A) 08-10-23
18-9-23	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिकेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26-9-23 को पेश हो। उ.जे.स.	
26.09.23	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 7 की सम्यक् तामिल हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील वादी के निवेदन पर पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश हो जाने प्रकरण में अंतिम बहस सुनी जाकर वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत् तकास्मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। Rathore 26/09/23 (दिलीप सिंह) सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:38 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
109/2023	2023/199	03.07.2023	26.09.2023 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. अशोक पुत्र रामगोपाल
2. गंगाराम पुत्र मांगूराम
3. बनवारी लाल पुत्र मांगूराम
4. रामेश्वर पुत्र मांगूराम
5. सरदारमल पुत्र मांगूराम
6. हरसहाय पुत्र मांगूराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम रूपपुरा उदलवास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

—— वादीगण——

बनाम

1. औमप्रकाश पुत्र मोहनलाल
2. गायत्री देवी पत्नि हरिराम
3. बजरंग लाल पुत्र हरिराम
4. मालीराम पुत्र मोहनलाल
5. विष्णु पुत्र हरिराम
6. सुमन पुत्री हरिराम

समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रूपपुरा उदलवास, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

7. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

——प्रतिवादीगण——

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

उपस्थित : –

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:38 IST
Reason: SelfAttested

श्री पूरणमल शर्मा, एड0 वादीगण।

श्री कमलेश शर्मा एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 अभिभाषक।

वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट...
श्रीमाधोपुर (नीमका...

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 4.24 है0 तन ग्राम रूपपुरा उदवारा पटवार हल्का करड़का भू–अभिलेख निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में स्थित है। जिसकी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी वादी नम्बर 1 हिस्सा 9/784, वादी नम्बर 2 का हिस्सा 5/48, वादी नम्बर 3 का हिस्सा 5/48, वादी नम्बर 4 का हिस्सा 5/48, वादी नम्बर 5 का हिस्सा 117/784, वादी नम्बर 6 का हिस्सा 3/112 अंकित है। जिसका कुल योग करने पर सम्पूर्ण भूमि में कुल हिस्सा 1/2 है। इसी प्रकार इस भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी नम्बर 2 का हिस्सा 1/32, प्रतिवादी नम्बर 3 का हिस्सा 1/32, प्रतिवादी नम्बर 4 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी नम्बर 5 का हिस्सा 1/32, प्रतिवादी नम्बर 6 का हिस्सा 1/32 अंकित है तथा खातेदार नारायणी पत्नि मोहनलाल का देहान्त हो चुका है। जिसके नाम से राजस्व रिकॉर्ड में इस भूमि में हिस्सा 1/8 अंकित है। मृतका नारायणी के प्रतिवादी नम्बर 1 ता 6 विधिक वारिसान है। जिनमें उनकी विधिक प्रास्थिति के अनुसार हिस्से 1/8 का अन्तरण हो गया है। इस प्रकार इस सम्पूर्ण भूमि में कुल योग करने पर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 का कुल हिस्सा 1/2 है। अर्थात् इस भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 4.42 हैक्टर में हिस्सा 1/2 की खातेदारी वादीगण के नाम से अंकित है एवं हिस्सा 1/2 की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के नाम से अंकित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 ने काफी वर्षो पूर्व से ही अर्थात् 30 वर्ष पूर्व से ही इस भूमि का मौके पर आधे–आधे हिस्से का आपसी सहमति से बाह्मी बंटवारा करके अलग–अलग काश्त करते आ रहे है। इस बाह्मी बंटवारे के अनुसार पक्षकारान ने इस भूमि के मौके पर दो भाग बराबर बराबर कर रखे है। जिसमें पूर्वी तरफ का भाग वादी के हिस्से में व पश्चिमी तरफ का भाग प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के हिस्से में आया हुआ है। पक्षकारान ने आपसी सहमति से मौकेपर बंटवारा कर रखा है। लेकिन राजस्व रिकार्ड में यह भूमि पक्षाकारान की शामलाती भूमि ही है। इसलिए इस भूमि के बंटवारे के बाबत भविष्य में पक्षकारान में किसी भी तरह का विवाद नहीं हो इसलिए "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" के आधार पर पक्षकारान में विधिक विभाजन करवाया जाना अति आवश्यक है। मौके पर सहमति से हुये बाह्मी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में भी बंटवारा करवाये जाने हेतु वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा तो पहले तो बाह्मी बंटवारे के अनुसार विधिक तकास्मा कराने का आश्वासन देते रहे लेकिन दिनांक 02.07.2023 को प्रतिवादीगण ने बाह्मी बंटवारे के अनुसार विधिक तकास्मा कराने से इन्कार कर दिया एवं लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये। वादकारण दिनांक 02.07.2023 को प्रतिवादीगण द्वारा बाह्मी बंटवारे के अनुसार विधिक तकास्मा कराने से इन्कार करने से उत्पन्न हुआ। वादीगण द्वारा वाद में अनुतोष इस प्रकार चाहा है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 4.24 है0 तन ग्राम रूपपुरा उदवारा पटवार हल्का करड़का भू–अभिलेख निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का पक्षकारान में आपसी सहमति से हुये बाह्मी बंटवारे के अनुसार "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार इस भूमि के पूर्वी तरफ का आधा हिस्सा वादीगण के नाम व पश्चिमी तरफ का आधा हिस्सा प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:38 IST
Reason: SelfAttested

26/9/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

नम्बर 1 ता 6 के नाम अलग अलग विधिक बंटवारा करते हुये राजस्व रिकार्ड में अंकित हिस्से के अनुसार विधिक बंटवारा करवाकर अलग–अलग बट्टा नम्बर डलवाया जाकर पक्षकारान में विधिक तकास्मा करवाया जावें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने हेतु निवेदन किया।

इस पर वादीगण के वाद को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 को जरिये रजिस्ट्रर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 7 की सम्यक तामील हो जाने के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी नम्बर 7 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादीगण ने उपस्थित होकर पक्षकारान् की ओर से राजीनामा पेश किया। उपस्थित वादीगण संख्या 1 लगायत 6 की पहचान वकील वादी श्री पूरण मल शर्मा एड0 ने की एवं उपस्थित प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की पहचान वकालतनामा पेश कर श्री कमलेश शर्मा एड0 ने की। उपस्थित पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाया गया। जिसे पक्षकारान ने सुन व समझकर स्वीकार किये जाने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। वकील वादीगण व पक्षकारान ने वादपत्र में बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने प्रकरण में पक्षकारान द्वारा आपसी समझौता/राजीनामा पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला आधार जमाबंदी संवत् 2074–2077, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी पक्षकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 की माता नारायणी पत्नि मोहनलाल (मृत्तका) के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य हुए आपसी समझौते/राजीनामा अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 4.2400 हैक्टर तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का भू0अ0निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना के प्रस्तुत राजीनामा में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त आराजी सम्पूर्ण भूमि का पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा वादीगण 1 लगायत 6 तथा पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 6 के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन कराया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुये अलग–अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर आज्ञप्ति जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally Signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

26/09/23

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 727 रकबा 4.2400 हैक्टर तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का भू0 अ0 निरीक्षक थोई तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर नवीन जिला नीमकाथाना के पेश राजीनामा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाकर राजीनाम में संलग्न नजरी नक्शा अनुसार उक्त आराजी सम्पूर्ण भूमि का पूर्वी तरफ का 1/2 हिस्सा वादीगण 1 लगायत 6 तथा पश्चिमी तरफ का 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 के हिस्सानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण ~~नम्बर~~ 1 ~~ता 6~~ के मध्य बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार विधिक विभाजन कराया जाकर अलग बट्टा नम्बर डालकर राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुये अलग–अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम किया जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एवं राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

यह निर्णय आज दिनांक **26.09.2023** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.02 11:21:38 IST
Reason: SelfAttested